

[To be published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i)]

GOVERNMENT OF INDIA

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, 12th March, 2020

G.S.R.(E). In exercise of the powers conferred by section 3, sub-section (1) of section 7 and sub-sections (1) and (2) of section 469 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the **Companies (Incorporation) Rules, 2014**, namely: -

1. (1) These rules may be called the **Companies (Incorporation) second Amendment Rules, 2020**.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.
2. In the Companies (Incorporation) Rules, 2014, in the Annexure, in Form No.INC-28, in serial number 5, in clause (a) after sub-clause (ii), the following shall be inserted, namely:-

“(iii) Section of Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 under which order passed”.

[F. No. 1/13/2013 CL-V, Vol.IV]


12/3/2020
K.V.R. MURTY, Joint Secretary.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 250(E), dated the 31st March, 2014 and last amended *vide* number G.S.R.128 (E) dated the 18th February, 2020.

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
कारपोरेट कार्य मंत्रालय
अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 मार्च, 2020

सा.का.नि. (अ).- केंद्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 3, धारा 7 की उप-धारा (1) और धारा 469 की उप-धारा (1) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कंपनी (निगमन) नियम, 2014 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-


1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम **कंपनी (निगमन) दूसरा संशोधन नियम, 2020** है।

(2) ये नियम राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के अनुलग्नक में प्ररूप सं. आईएनसी-28 की क्रम सं. 5 में, खंड (क) में उप-खंड (ii) के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्-

“(iii) दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 की धारा जिसके अधीन आदेश पारित किया गया”।”

[फा.सं.1/13/2013/सीएल-V, खंड. IV]


12/3/2020

के.वी.आर. मूर्ति, संयुक्त सचिव

नोट: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खंड 3, उपखंड (i) में संख्यांक सा.का.नि.250(अ), तारीख 31 मार्च, 2014 द्वारा प्रकाशित किए गए और संख्यांक सा.का.नि. 128(अ), तारीख 18 फरवरी, 2020 द्वारा अंतिम बार संशोधित किए गए।